

(राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,  
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 3 जुलाई, 2006

अधिसूचना

सं.आर-16025/3/2005-रा.सां.आ. - भारत सरकार के संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.1 दिनांक 1-6-2005 के अनुरारण में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग निम्नलिखित को शामिल करते हुए गठित किया गया है :-

- |       |  |         |
|-------|--|---------|
| (i)   | प्रो. सुरेश तेंदुलकर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स   | अध्यक्ष |
| (ii)  | डॉ. सुरजीत एस. भट्टा, एस-160, पंच शिला पार्क, नई दिल्ली-110017   | सदस्य   |
| (iii) | डॉ. अमिताभ कुंदू, प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067.                    | सदस्य   |
| (iv)  | डॉ. पदम सिंह, 2062, पार्क रॉयल, सेक्टर-9, ब्लॉक 10ए, द्वारका, नई दिल्ली-110045.  | सदस्य   |
| (v)   | प्रो. बिकाश सिन्हा, प्रोफेसर, सैद्धांतिक सांख्यिकी तथा गणित प्रभाग, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 203, बी.टी.रोड, कोलकाता-700108. | सदस्य   |

उपर्युक्त चार सदस्यों के अतिरिक्त, सचिव, योजना आयोग, आयोग के पदेन सदस्य होंगे। भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् आयोग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के पदभार संभालने तक सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

2. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अंशकालिक अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा। सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके पैंसट वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।

3. अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा सेवा शर्तें भारत सरकार की अधिसूचना सं.-ए-11011/1/2005-प्रशा.1(खण्ड-IV) दिनांक 8 मई, 2006 के द्वारा शासित होंगी। आयोग के अध्यक्ष का स्तर भारत सरकार में एक राज्यमंत्री का होगा तथा सदस्यों का स्तर भारत सरकार के सचिव का होगा।

4. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक निष्पादित करेंगा जैसा कि संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.1 दिनांक 1-6-2005 में अनुबद्ध है।

5. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग पर होने वाला समस्त व्यय लेखा-शीर्ष 3451(मुख्यशीर्ष) के अंतर्गत वहन किया जाएगा।

6. यह अधिसूचना 12 जुलाई, 2006 से लागू होगी।

( अरुण कुमार सम्भना )  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**Government of India**  
**Ministry of Statistics and Programme Implementation**

Sardar Patel Bhawan, Parliament Street  
New Delhi-110 001. dated the 3rd July, 2006

**NOTIFICATION**

No.R-16025/3/2005-NSC. In pursuance of the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I dated 1.6.2005, the National Statistical Commission is constituted with the following: -

- (i) Prof. Suresh Tendulkar, Centre for Development Economics, Delhi School of Economics – **Chairman.**
- (ii) Dr. Surjit S. Bhalla, S-160, Panch Shila Park, New Delhi-110017 – **Member.**
- (iii) Dr. Amitabh Kundu, Professor, Centre for Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067 – **Member.**
- (iv) Dr. Padam Singh, 2062, Park Royal, Sector-9, Block 10A, Dwarka, New Delhi - 110045 – **Member.**
- (v) Prof. Bikas Sinha, Professor, Division of Theoretical Statistics & Mathematics, Indian Statistical Institute, 203 B.T. Road, Kolkata-700108 – **Member.**

Besides the above four Members, Secretary, Planning Commission will be *ex-officio* Member of the Commission. The Chief Statistician of India will function as Secretary to the Commission. The Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation will function as *ex-officio* Member Secretary of the Commission till the Chief Statistician of India assumes office.

2. The Chairman and Members of the Commission will be part-time Chairman and Members. The tenure of the Chairman will be three years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier. The tenure of the Members will be three years or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier.

3. The appointment, tenure and service condition of the Chairman and Members shall be governed by Government of India Notification No.A-11011/1/2005-Ad.I (Vol.IV) dated 8<sup>th</sup> May, 2006. The Chairman of the

---

Commission will have the status of a Minister of State in the Government of India and the Members will have the status of a Secretary to the Government of India.

4. The National Statistical Commission will perform the functions effectively and efficiently as stipulated in the Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I dated 1.6.2005.

5. All expenditure on account of the National Statistical Commission will be incurred under the Head of Account 3451 (Major Head).

6. This notification will come into force with effect from 12<sup>th</sup> July 2006.

(A.K. Saxena)  
Joint Secretary to the Govt. of India

---